सूचना ... पंजीकरण
Information ... Diary
दिनांक Date 1/1/14
... 02
अपील APPEAL
CIC
विविध संदर्भ Misc. Ref.
सामान्य General

82.56
1-1-14

RECEIVED
10
66855
1-1-14

अनु. अ. (सूचना)
31/12/13

सुश्री अलका शर्मा

रजिस्ट्रार,

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली - 110007

विषयः सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतगर्त निम्नलिखित सूचना देने की कृप्या करें।

प्रश्न–1 दिल्ली विश्वविद्यालय एवं दिल्ली सरकार से संबंधित कितने कालेज में पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है? कालेज के नाम सहित विस्तृत विवरण दीजिए?

प्रश्न–2 दिल्ली विश्वविद्यालय एवं दिल्ली सरकार से संबंधित कितने कालेज में पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम को हिंदी तथा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाता है। विस्तृत जानकारी मुहैया करायी जाए?

प्रश्न--3 भीम राव अम्बेड़कर कालेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, अदिती कॉलेज, खालसा कालेज तथा राम लाल आनन्द कालेज इत्यादि में पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता की विस्तृत जानकारी देने के साथ–साथ अन्य कालेज में पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता का विस्तृत विवरण दिया जाये।

प्रश्न–4 दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एंव जनसंचार (हिंदी तथा अंग्रेजी माध्यम) किस विभाग के अंतर्गत्र पढ़ाये जाते हैं?

प्रश्न--5 दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार पढ़ाने वाले शिक्षकों को किस आधार पर रखा जाता है। विस्तृत जानकारी दें?

सभी प्रश्नों की जानकारी इलैक्ट्रॉनिक सीडी तथा प्रपत्र के माध्यम से उपरोक्त पते पर भेजने की कृप्या करें

श्रीकांत शर्मा

एल--11, गली न॰ 12, ब्रह्मपुरी दिल्ली– 110053

मो॰ 9818800168, 8860650025, 9868747254

नोट : आरटीआई की मूल प्रति रजिस्ट्रार दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली को स्पीड पोस्ट के जरिये भेज दी गई है। दो–तीन दिन की अवधि में आपको प्राप्त हो जायेगी। आरटीआई का जवाब निर्धारित सीमा के अतंगर्त देने की कृप्या करें।

30/12/2013

श्रीकांत शर्मा

R-2506
31/12/13

प्रतिलिपिः

1. प्रधानाचार्य/जन सूचना अधिकारी, भीम राव अम्बेडकर महाविद्यालय, वजिराबाद रोड, यमुना विहार, दिल्ली – 110094 को यह मूल आवेदन प्रभारी, हिन्दी विभाग, दक्षिण परिसर से प्राप्त जानकारी के आधार पर इस अधिनियम की धारा 6(3) के तहत् स्थानांतरित किया जा रहा है। इस मूल आवेदन संख्या 02/2014 का भविष्य में किये जाने वाले पत्राचार में उल्लेख करना आवश्यक है। मूल आवेदन से संबंधित सूचना कृप्या प्रार्थी को, इस कार्यालय को सूचित करते हुए, सीधे भिजवा दे। आपके संदर्भ के लिए मूल आवेदन की प्रति तथा प्रभारी, हिन्दी विभाग, दक्षिण परिसर से प्राप्त जानकारी संलग्न है।

2. प्रधानाचार्य/जन सूचना अधिकारी, महाराजा अग्रेसेन महाविद्यालय, वसुन्धरा इन्कलेव, (चीला खेल परिसर के पास), दिल्ली–110096 को यह मूल आवेदन प्रभारी, हिन्दी विभाग, दक्षिण परिसर से प्राप्त जानकारी के आधार पर इस अधिनियम की धारा 6(3) के तहत् स्थानांतरित किया जा रहा है। इस मूल आवेदन संख्या 02/2014 का भविष्य में किये जाने वाले पत्राचार में उल्लेख करना आवश्यक है। मूल आवेदन से संबंधित सूचना कृप्या प्रार्थी को, इस कार्यालय को सूचित करते हुए, सीधे भिजवा दे। आपके संदर्भ के लिए मूल आवेदन की प्रति तथा प्रथारी, हिन्दी विभाग, दक्षिण परिसर से प्राप्त जानकारी संलग्न है।

3. प्रधानाचार्य/जन सूचना अधिकारी, आदिति महाविद्यालय, दिल्ली ओचन्दी रोड, बवाना, दिल्ली – 110039 को यह मूल आवेदन प्रभारी, हिन्दी विभाग, दक्षिण परिसर से प्राप्त जानकारी के आधार पर इस अधिनियम की धारा 6(3) के तहत् स्थानांतरित किया जा रहा है। इस मूल आवेदन संख्या 02/2014 का भविष्य में किये जाने वाले पत्राचार में उल्लेख करना आवश्यक है। मूल आवेदन से संबंधित सूचना कृप्या प्रार्थी को, इस कार्यालय को सूचित करते हुए, सीधे भिजवा दे। आपके संदर्भ के लिए मूल आवेदन की प्रति तथा प्रभारी, हिन्दी विभाग, दक्षिण परिसर से प्राप्त जानकारी संलग्न है।

4. प्रधानाचार्य/जन सूचना अधिकारी, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालयए दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–110007 को यह मूल आवेदन प्रभारी, हिन्दी विभाग, दक्षिण परिसर से प्राप्त जानकारी के आधार पर इस अधिनियम की धारा, 6(3) के तहत् स्थानांतरित किया जा रहा है। इस मूल आवेदन संख्या 02/2014 का भविष्य में किये जाने वाले पत्राचार में उल्लेख करना आवश्यक है। मूल आवेदन से संबंधित सूचना कृप्या प्रार्थी को, इस कार्यालय को सूचित करते हुए, सीधे भिजवा दे। आपके संदर्भ के लिए मूल आवेदन की प्रति तथा प्रभारी, हिन्दी विभाग, दक्षिण परिसर से प्राप्त जानकारी संलग्न है।

5. प्रधानाचार्य/जन सूचना अधिकारी, रामलाल आंनद महाविद्यालय, बेनिटो जुनरेज मार्ग, नई दिल्ली–110021 को यह मूल आवेदन प्रभारी, हिन्दी विभाग, दक्षिण परिसर से प्राप्त जानकारी के आधार पर इस अधिनियम की धारा 6(3) के तहत् स्थानांतरित किया जा रहा है। इस मूल आवेदन संख्या 02/2014 का भविष्य में किये जाने वाले पत्राचार में उल्लेख करना आवश्यक है। मूल आवेदन से संबंधित सूचना कृप्या प्रार्थी को, इस कार्यालय को सूचित करते हुए, सीधे भिजवा दे। आपके संदर्भ के लिए मूल आवेदन की प्रति तथा प्रभारी, हिन्दी विभाग, दक्षिण परिसर से प्राप्त जानकारी संलग्न है।

6. प्रभारी, हिन्दी विभाग, दक्षिण परिसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली – 110007 आपके द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के सदंर्भ में सूचनार्थ।

7. उप–कुलसचिव (शैक्षणिक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली – 110007 आपके द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के सदंर्भ में सूचनार्थ।

8. अनुभाग अधिकारी (सूचना), दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली – 110007 इस आदेश के साथ किसी शुल्क की प्राप्ति पर प्रार्थी को तुरन्त सूचना उपलब्ध करवा दे।

9. गार्ड फाइल

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

RTI/2766 — 2767

Date 31/01/2014

श्री श्रीकांत शर्मा,
एल-११, गली नंबर १०,
ब्रह्मपुरी, दिल्ली-११००५३.

सूचना का अधिकार एक्ट २००५ के अंतर्गत सूचना (मूल आवेदन संख्या ०२/२०१४)

महोदय,

कृपया आपके आवेदन पत्र दिनांक ३०.१२.२०१३, जिसमे सूचना का अधिकार के तहत सूचना मांगी गयी है, उसके संधर्भ में सूचना दी जाती है कि खालसा कॉलेज में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यकर्म नहीं पढ़ाया जाता। कॉलेज में केवल स्पोट्र्स इकोनॉमिक्स एवं वेब जर्नलिज्म (ऐड ऑन) कोर्सेज जिनकी अवधि तीन माह है कि पढ़ाई होती है.

आप ३० दिन के अंदर निर्णय के विरुद्ध अपीलीय परिधकारी के समक्ष अपनी अपील दायर कर सकते है। अपीलीय प्राधिकारी का नाम तथा संभंधित जानकारी इस प्रकार है :

श्री जसविंदर सिंह, (प्रधानाचार्य), श्री गुरु तेग़ बहादुर खालसा कॉलेज, दिल्ली-११०००७
दूरभाष : ०११-२७६६७४६९

भवदीय

(हर्ष वर्धन झाम्ब)
जन सूचना अधिकारी

SRI GURU TEGH BAHADUR KHALSA COLLEGE UNIVERSITY OF DELHI

प्रति : केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली - ११०००७, पत्र संख्या स. स/मूल आवेदन / ०२/२०१४/३३१ दिनांक २१ जनवरी २०१४ के उत्तर में.

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली – 110007, University of Delhi, Delhi-110007
दूरभाष / Telephone No. 011-27667725/27667853, फैक्स / Fax No. 011-27666350, वेबसाइट / website: www.du.ac.in

श्री श्रीकांत शर्मा,
एल-११, गली नंबर १०,
ब्रह्मपुरी, दिल्ली-११००५३.

सूचना का अधिकार एक्ट २००५ के अंतर्गत सूचना (मूल आवेदन संख्या ०२/२०१४)

महोदय,

कृपया आपके आवेदन पत्र दिनांक ३०.१२.२०१३, जिसमे सूचना का अधिकार के तहत सूचना मांगी गयी है, उसके संधर्भ में सूचना दी जाती है कि खालसा कॉलेज में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यकर्म नहीं पढ़ाया जाता। कॉलेज में केवल स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एवं वेब जर्नलिज्म (ऐड ऑन) कोर्सेज जिनकी अवधि तीन माह है कि पढ़ाई होती है.

aap ३० दिन के अंदर निर्णय के विरुद्ध अपीलीय परिधकारी के समक्ष अपनी अपील दायर कर सकते है। अपीलीय प्राधिकारी का नाम तथा संभंधित जानकारी इस प्रकार है :

श्री जसविंदर सिंह, (प्रधानाचार्य), श्री गुरु तेग़ बहादुर खालसा कॉलेज, दिल्ली-११०००७
दूरभाष : ०११-२७६६७४६९

भवदीय

(हर्ष वर्धन झाम्ब)
जन सूचना अधिकारी

प्रति : केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली - ११०००७, पत्र संख्या स. स/मूल आवेदन /०२/२०१४/३३१ दिनांक २१ जनवरी २०१४ के उत्तर में.

हिंदी विभाग
UNIVERSITY OF DELHI
दिल्ली विश्वविद्यालय

क्रमाक : हिंदी/2013-2014/1510 दिनांक: 17 जनवरी, 2014

श्री जय चंदा
सहायक कुलसचिव (सूचना)
सूचना अनुभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली-110007

संदर्भ : O.A. No. 02/2014 दिनांक 01.01.2014

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भ में आवश्यक सूचना निम्नलिखित है –

1. इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट/विवरणिका देखी जा सकती है।
2. हिंदी माध्यम से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय के निम्नलिखित चार महाविद्यालयों में होती है। 1) अदिति कॉलेज 2) भीवराव अंबेडकर कॉलेज 3) रामलाल आंनद कॉलेज 4) गुरू नानक देव खालसा कॉलेज
3. इस संबंध में संबद्ध महाविद्यालयों से जानकारी ली जा सकती है।
4. दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई (हिंदी माध्यम) हिंदी विभाग की देखरेख में करवाई जाती है।
5. सभी शिक्षकों को दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमानुसार नियुक्त किया जाता है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सधन्यवाद।

भवदीय

(प्रो० गोपेश्वर सिंह)
प्रभारी, हिंदी विभाग दक्षिण परिसर

सूचना अनुभाग पंजीकरण
Information Section Diary
20/1/14
दिनांक Date
मूल आवेदन OA
251